

पर्चा डिक्री
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर
टिब्बी, जिला हनुमानगढ़

पीठारीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

गि0न0 239/2025

1. गुकेश पुत्र धर्मपाल जाति मेघवाल निवासी केहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. सरोज पत्नी धर्मपाल जाति मेघवाल निवासी केहरवाला तहसीली टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

वादी

बनाम

- 1 रमना पुत्री धर्मपाल जाति मेघवाल निवासी केहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।


प्रतिवादी

डिक्री

दिनांक 24/7/25.....

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री हितेन्द्र मोहन व प्रतिवादी वकील निर्माण सिंह अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है चक न० 10 आर. डब्ल्यू. डी. जमाबन्दी संवत् 2075 से 2078 के वर्तमान संयुक्त खाता स० 65/59 में अंकित कुल 2.137 हैक्टेयर भूमि में प्रतिवादिया के नाम अंकित 1/18 हिस्सा भूमि के वादीगण व०हि०व० के खातेदार काश्तकार किये जाकर उक्त चक में प्रतिवादीया का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार राजस्व टिब्बी को निर्देशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद एंव जमाबन्दी में गै०मु० रकबे को यथावत रखते हुए यदि किराी सक्षम न्यायालय का रथगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे ।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 24/7/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


(सत्यनारायण R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर टिब्बी।